न्यायालय विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट/चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश
पीलीभीत।
उपस्थित : चंद्रमोहन मिश्र, (उच्चतर न्यायिक सेवा)
जमानत आवेदन संख्या–2271/2022

सद्दाम पुत्र मो0 शाह निवासी मोहल्ला खब्बापुर कस्बा व थाना
न्यूरिया जिला पीलीभीत।

प्रति
उ0प्र0 राज्य

अपराध संख्या–353/2022
अन्तर्गत धारा– 2/3 गैंगेस्टर एक्ट,
थाना–न्यूरिया, जनपद पीलीभीत।

दिनांकः 18.10.2022

प्रार्थी/अभियुक्त सद्दाम पुत्र मो0 शाह निवासी मोहल्ला खब्बापुर कस्बा व थाना न्यूरिया जिला पीलीभीत की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–353/2022 धारा–2/3 गैंगेस्टर एक्ट थाना न्यूरिया जनपद पीलीभीत में प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।

अभियोजन के अनुसार दिनॉक 31.07.2022 को थानाध्यक्ष मनोज कुमार मय हमराहियान शांतिव्यवस्था व जांच अहकामात मे मामूर थे तो दौरान भ्रमण क्षेत्र इलाका यह ज्ञात हुआ कि अभियुक्त गैंग लीडर युसुफ उर्फ पप्पू पुत्र मो0 असगर सह अभियुक्त सद्दाम पुत्र मोहम्मद शाह के साथ मिलकर एक संगठित आपराधिक गिरोह बना रखा है। यह गैंग अवैध रूप से गोवंशीय पशुओ का वध करके उनके मांस को विक्रय करता है और भौतिक, आर्थिक व दुनयावी लाभ अर्जित करता है। जिससे जनता मे भय व आतंक का वातावरण बना हुआ है। जनता का कोई भी व्यक्ति गवाही देने को भयवश तैयार नही है। इनका जनहित व समाज हित में स्वतन्त्र रहना उचित नहीं है तथा इनके कृत्यों से समाज में भय व असुरक्षा का वातावरण उत्पन्न हो रहा है तथा इस गैंग के कृत्यों से आसपास के क्षेत्रो में आक्रोश उत्पन्न हो रहा है जिससे सामाजिक सौहार्द बिगडने की पूर्ण सम्भावना है। इनके खिलाफ जनता का कोई भी व्यक्ति अभियोग पंजीकृत कराने व गवाही देने का साहस नहीं कर पाता है। इस गैंग का क्षेत्र में भय व आतंक व्याप्त है।

अभियुक्त की ओर से अपने प्रार्थनापत्र जमानत में यह आधार लिया गया है कि अभियुक्त को द्वेषभाव से पुलिस द्वारा झूठा फंसाया गया है वह निर्दोष है। प्रार्थी/अभियुक्त उसके विरूद्ध गैगचार्ट मे दर्शित गौवध निवारण अधिनियम के एक आपराधिक प्रकरण मे जमानत पर हैं। प्रार्थी किसी भी गैंग का सक्रिय सदस्य नही है और न ही अवैध रूप से गोवंशीय पशुओ का वध कर उनके मांस को विक्रय कर आर्थिक, भौतिक व दुनयावी लाभ कमाता हैं। प्रार्थी/अभियुक्त कोई समाज विरोधी कार्य नही करता है। प्रार्थी/अभियुक्त का समाज मे कोई भय व आतंक नही है। प्रार्थी/अभियुक्त आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति नही है। उक्त आधारो पर जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

विद्वान अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए कहा गया है कि अभियुक्त सक्रिय गैंग का सदस्य है। गैंग चार्ट मे अभियुक्त के विरूद्ध मु.अ.सं. 287/2021 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम तथा धारा 11 पशु क्रूरता अधिनियम दर्ज होना अभियोजन की ओर से दर्शित किया गया है। अभियुक्त निरंतर आपराधिक गतिविधियो मे संलिप्त रहा है तथा गैंग का सक्रिय सदस्य हैं। अभियुक्त के द्वारा अन्य अभियुक्तगण के साथ मिलकर स्वयं के तथा अपने परिवार के भरण पोषण हेतु आर्थिक एवं भौतिक लाभ के लिये संगठित होकर अवैध रूप से गोवंशीय पशुओ का वध कर उनके मांस को विक्रय करने जैसे अपराध कारित किए जाते हैं, यह गैंग समाज विरोधी क्रियाकलापों में लिप्त है तथा इनसे समाज में भय व्याप्त है। अतः अभियुक्त का

जमानत आवेदन निरस्त किये जाये।

अभियुक्त के विद्वान् अधिवक्ता एवं विद्वान् सहायक अभियोजन अधिकारी को सुना एवं केस–डायरी तथा उपलब्ध अन्य पुलिस प्रपत्रो का अवलोकन किया।

अभियुक्त के विरूद्ध गैंगचार्ट मे मु.अ.सं. 287/2021 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम व धारा 11 पशु क्रूरता अधिनियम दर्शित किया गया है। गैंगचार्ट मे दर्शित आपराधिक प्रकरण के अलावा अभियुक्त के आपराधिक इतिहास के रूप मे उसके विरूद्ध धारा 110जी. का आपराधिक मामला दर्ज होना दर्शित किया गया है। इस प्रकार अभियुक्त के विरूद्ध गैंगचार्ट मे दर्शित आपराधिक प्रकरण से इस स्तर पर अभियोजन के इस तर्क को बल मिलता है कि अभियुक्त निरन्तर आपराधिक गतिविधियो को अंजाम दिए जाने मे संलिप्त है और यदि अभियुक्त को जमानत पर अवमुक्त किया जाता है तो वह पुनः आपराधिक एवम् समाज विरोधी गतिविधियो मे संलिप्त हो जायेगा। आवेदक/ अभियुक्त एक अभ्यस्त अपराधी है जो अपने सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर समाज विरोधी क्रियाकलाप मे लिप्त होकर भौतिक, आर्थिक एवं दुनियावी लाभ के लिए अवैध रूप से गोवंशीय पशुओ का वध करके उनके मांस का विक्रय करने जैसे जघन्य अपराध कारित करता है, यदि आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया गया तो वह पुनः ऐसे अपराध मे संलिप्त होकर उसको अंजाम देगा। अतः मामले के गुणदोष पर कोई टिप्पणी किए बिना मामले के तथ्यो एवं परिस्थितियो को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किए जाने योग्य है। इस प्रकार अभियुक्त की आपराधिक मामले मे संलिप्तता एवं मामले के समस्त तथ्यो एवं परिस्थितियो में **उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा 19(4)बी.** के आलोक में इस स्तर पर न्यायालय के समक्ष यह विश्वास करने का युक्तियुक्त आधार नही है कि अभियुक्त ऐसे अपराध का दोषी नही है और इस संम्भावना से इंकार नही किया जा सकता कि अभियुक्त जमानत पर अवमुक्त होने के उपरान्त आपराधिक कृत्यो मे संलिप्त नहीं होगा।

अतः मामले के समस्त तथ्यो एवं परिस्थितियो में अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का पर्याप्त आधार नही है। तद्नुसार अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन निरस्त किए जाने योग्य है।

आदेश

मुकदमा अपराध संख्या–353/2022 अंतर्गत धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना न्यूरिया जिला पीलीभीत के मामले मे अभियुक्त सद्दाम पुत्र मो0 शाह निवासी मोहल्ला खब्बापुर कस्बा व थाना न्यूरिया जिला पीलीभीत की ओर से दाखिल जमानत आवेदन निरस्त किया जाता है।

विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट)/
चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश
पीलीभीत।